न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—काना राम आई.ए.एस.

प्रकरण सं. 06/2022
स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी, हनुमानगढ

प्रार्थी

बनाम

असकर अली पुत्र सखी मोहम्मद निवासी रारारा तह0 नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

मुकदमा अर्न्तगत धारा 6 ए ई0सी एक्ट

उपस्थितः— 1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभि0।
2 अप्रार्थी अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः —19.02.2025

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14.06.2022 को जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ हमराह विनोद कुमार प्रवर्तन अधिकारी फेफाना मोड़ स्थित दुकान में पेट्रोल व डीजल का अवैध भण्डारण एवं बेचान की सूचना पर उपस्थित हुए। मौके पर असकर अली (मालिक) की उपस्थिति में दुकान की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान दुकान में 210 लीटर डीजल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 1 लोहे के नाप, 1 प्लास्टिक कीप मिली। मौके पर पाया गया सामान दुकान में डीजल के विक्रय, कारोबार का होना स्पष्ट करता है मौके पर मालिक द्वारा उनके पास डीजल विक्रय, कारोबार करने हेतु वैध दस्तावेज, लाइसेंस, परमिट आदि नहीं होना बताया। मौके पर पाये गये 210 लीटर डीजल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 1 लोहे के नाप, 1 प्लास्टिक कीप के सम्बन्ध में कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं अवैध भण्डारण एवं कारोबार स्पष्ट होने के कारण 210 लीटर डीजल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 1 लोहे के नाप, 1 प्लास्टिक कीप को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। जब्त की गई उक्त सामग्री श्री रामकुमार सुथार पुत्र श्री महावीर प्रसाद उम्र 53 वर्ष जाति सुथार निवासी 28 एनटीआर हाल उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत रामसरा तहसील नोहर की सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार श्री असकर अली पुत्र श्री सखी मोहम्मद निवासी रामसरा तहसील नोहर द्वारा मोटर स्प्रिंट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लघंन किया गया है। जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त 210 लीटर डीजल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 1 लोहे के नाप, 1 प्लास्टिक कीप को राजसात करने के आदेश फरमावें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। जब्तशुदा को ज्वलनशील पदार्थ होने से जानमाल की हानि की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 27.6.2022 को दिये जा चुके है। जिसकी पालना रिपोर्ट कार्यालय जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा रैफरेंस नं0 10669947 दिनांक 23.09.2024 द्वारा प्रेषित की गयी।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी को स्टेट की ओर से जारी नोटिस दिनांक 28.06.2022 तामील होकर प्राप्त हुआ, परन्तु अप्रार्थी उपस्थित नहीं हुआ। बार–बार आवाज लगायी गयी, फिर भी अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब व उपस्थिति दर्ज नहीं करवायी गयी।

राजकीय अभिभाषक ने बहस में कथन किया है कि दुकान से जांच के समय प्रवर्तन अधिकारी हनुमागढ द्वारा 210 लीटर डीजल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 1 लोहे के नाप, 1 प्लास्टिक कीप जब्त किये गये हैं। वाणिज्यिक परिसर में उपकरण व वजन माप रखने का तथ्य सिद्ध करता है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त उपकरणों से दुकान में डीजल के विकय, कारोबार का निरन्तर कार्य किया गया है। उक्त कार्य राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा सामान राजसात किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अप्रार्थी से तलाशी के दौरान, दुकान से जांच के समय प्रवर्तन अधिकारी हनुमागढ द्वारा 210 लीटर डीजल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 1 लोहे के नाप, 1 प्लास्टिक कीप जब्त किये गये हैं। वाणिज्यिक परिसर में उपकरण व वजन माप रखने का तथ्य सिद्ध करता है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त उपकरणों से दुकान में डीजल के विकय, कारोबार का निरन्तर कार्य किया गया है। इसके अलावा अप्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी को वरवक्त निरीक्षण जब्ती कोई बिल लाईसेंस, परमिट इत्यादि मौके पर उपलब्ध नहीं करवाये गये थे तथा ना ही कोई संतोषजनक जवाब दिया। जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लघंन है, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है।

अतः प्रार्थी स्टेट जरिये जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा उक्त 210 लीटर डीजल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 1 लोहे के नाप, 1 प्लास्टिक कीप जिसका अन्तरिम निस्तारण कर इस न्यायालय के आदेश दिनांक दिनांक 27.6.2022 द्वारा किया जा चुका है, को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ सत्यमेव जयते

(काना राम आई.ए.एस.)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner